राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र सं0- 34/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांकः जुलाई 07, 2026

विषयः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित एस०एल०पी०(क्रिमिनल) संख्या-11263 / 2025 जी० गणेश बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु राज्य व अन्य मे मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह(पुलिस) अनुभाग-15, उ०प्र० शासन लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-1362808 / 2026 / 2040176 दिनांक 12.06.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित एस०एल०पी०(क्रिमिनल) संख्या-11263 / 2025 जी० गणेश बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु राज्य व अन्य मे दिनांक 22.05.2026 को मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

1. डीजी परिपत्र सं० 39 / 2025 दिनांक-05.10.2025
2. डीजी परिपत्र सं० 12 / 2026 दिनांक-14.02.2026
3. डीजी परिपत्र सं० 26 / 2026 दिनांक-19.04.2026

4 (ii) All Police Stations are directed to immediately register an FIR the moment any information reaches them with regard to any person missing, without waiting for any preliminary enquiry or leaving it to the guardians or family members of the missing person to first search for him/her. We add a note of caution that if the missing person is restored to his/her family within 24 hours, the head of the police force of the concerned district shall not forward a copy of the FIR to the jurisdictional Court, and the matter may stand closed at that level itself. However, this shall not mean that the police machinery would remain inactive. On the Contrary, the police machinery shall be activated immediately, at its highest level, for tracing and locating the missing person, as such prompt action is worth the exercise even if the person is traced or returns within 24 hours, rather than waiting for the expiry of 24 hours before initiating action, by which time, it may already be too late. Needless to over emphasize, the initial few hours from the time any person goes missing are the "golden hours" during which the chances of safe recovery are at their maximum.

4 (iii) The FIR so registered shall mandatorily incorporate the relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and any other applicable statutory provisions relating to kidnapping, abduction or trafficking of a person or child.

4 (iv) Immediately upon the investigating agency/police having sufficient reason to believe that the case relates to trafficking, and without waiting for the expiry of the

four months' period, the matter shall be transferred to the specialized unit, if constituted in the area, dealing with offences relating to human trafficking, kidnapping, abduction and allied offences.

4 (vii) The moment any person, including a child, is recovered, it shall be ensured without any delay that the person is restored to his / her family in accordance with law, subject to due verification that the person is being restored to the rightful guardian. Procedural formalities shall not be pleaded as a defence in the event of inordinate delay in restoration. However, in cases where it is found that the victim was trafficked with the involvement or connivance of the family or guardians, the victim shall not be restored to such family and immediate responsibility for care and protection shall vest in the State authorities, including the Child Welfare Committees (CWCs).

4 (viii) We endorse and direct that the moment any missing person is recovered or rescued, he or she shall immediately be taken for Aadhaar verification or for issuance of an Aadhaar Card, as the case may be. This direction is being issued in view of the fact that for the purpose of procuring an Aadhaar Card, finger prints and other biometric details are captured, and the moment any attempt is made by the same person to obtain another Aadhaar Card, the system would reveal whether such person already possesses one, thereby greatly facilitating identification and restoration of the person to his or her family. The verification of the Aadhaar Card may be carried out by any readily available authorized agency so as to avoid any delay or loss of valuable time.

उपरोक्त के संदर्भ में पूर्व में जारी गुमशुदा बच्चों एवं मानव तस्करी की रोकथाम संबंधी निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1. सभी पुलिस थानों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लापता होने संबंधी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाए। इसके लिए किसी प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी तथा न ही लापता व्यक्ति के अभिभावकों अथवा परिजनों पर यह दायित्व डाला जाएगा कि वे पहले स्वयं उसकी खोजबीन करें।
2. यदि लापता व्यक्ति 24 घंटे के भीतर अपने परिवार के पास वापस आ जाता है अथवा उसे खोजकर परिवार को सौंप दिया जाता है, तो संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख द्वारा उक्त एफआईआर की प्रति अधिकारिता प्राप्त न्यायालय को अग्रेषित नहीं की जाएगी और मामला उसी स्तर पर समाप्त माना जा सकेगा।
3. लापता व्यक्ति का पता लगाने एवं उसे खोज निकालने के लिए पुलिस तंत्र को तत्काल और अपने उच्चतम स्तर पर सक्रिय किया जाएगा। ऐसी त्वरित कार्यवाही तब भी पूर्णतः उचित और आवश्यक है, यदि व्यक्ति 24 घंटे के भीतर मिल जाए अथवा स्वयं लौट आए। 24 घंटे की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करने के बाद कार्यवाही प्रारंभ करने की अपेक्षा तत्काल कार्यवाही कहीं अधिक प्रभावी है, क्योंकि विलंब होने पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और तब तक बहुत देर हो चुकी हो सकती है। किसी व्यक्ति के लापता होने के पश्चात प्रारंभिक कुछ घंटे 'स्वर्णिम घंटे' (Golden Hours) होते हैं, जिनके दौरान उसकी सुरक्षित बरामदगी की संभावना सर्वाधिक रहती है।

unit, if
ficking,

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की अपहरण, व्यपहरण अथवा किसी व्यक्ति अथवा बालक/बालिका की तस्करी से संबंधित सुसंगत धाराओं तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
5. जैसे ही पुलिस को यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हो जाए कि मामला मानव तस्करी (Human Trafficking) से संबंधित है, ऐसे मामलों में चार माह की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, प्रकरण को तत्काल उस क्षेत्र के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने को स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।
6. जैसे ही किसी व्यक्ति, जिसमें कोई बालक या बालिका भी सम्मिलित है, को बरामद कर लिया जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधि के अनुसार, बिना किसी अनावश्यक विलंब के उसे उसके परिवार को सुपुर्द किया जाए, बशर्ते यह समुचित सत्यापन कर लिया गया हो कि उक्त व्यक्ति को उसके वैध अभिभावक अथवा संरक्षक को ही सौंपा जा रहा है। पुनर्स्थापन (Restoration) में अत्यधिक विलंब होने की स्थिति में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं (Procedural Formalities) को किसी प्रकार के बचाव या औचित्य के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. किन्तु जिन मामलों में यह पाया जाए कि पीड़ित को उसके परिवार अथवा अभिभावकों की संलिप्तता, मिलीभगत अथवा सहमति से तस्करी का शिकार बनाया गया था, ऐसे मामलों में पीड़ित को उस परिवार अथवा अभिभावकों को पुनः सुपुर्द नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में पीड़ित की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास की तत्काल जिम्मेदारी राज्य प्राधिकारियों पर निहित होगी, जिसमें बाल कल्याण समितियाँ (Child Welfare Committees - CWCs) भी सम्मिलित होंगी।
8. जैसे ही किसी लापता व्यक्ति को खोज लिया जाए अथवा उसे बचाया/मुक्त कराया जाए, उसे तत्काल आधार सत्यापन (Aadhaar Verification) हेतु ले जाया जाए अथवा आवश्यकता अनुसार उसका आधार कार्ड बनवाया जाए। आधार कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यक्ति के अंगुलियों के निशान (Fingerprints) तथा अन्य बायोमेट्रिक विवरण संकलित किए जाते हैं। फलस्वरूप, यदि वही व्यक्ति पुनः किसी अन्य आधार कार्ड के लिए आवेदन करने का प्रयास करता है, तो प्रणाली (System) यह प्रदर्शित कर देगी कि उसके नाम से पहले से ही आधार कार्ड विद्यमान है या नहीं। इससे उस व्यक्ति की पहचान स्थापित करने तथा उसे उसके परिवार से पुनः मिलाने की प्रक्रिया में अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी।
9. आधार कार्ड का सत्यापन किसी भी उपलब्ध अधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जा सकता है, जिससे किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो तथा बहुमूल्य समय की हानि से बचा जा सके।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

1- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- पुलिस महानिदेशक (रेलवे), उ0प्र0, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, (WCSO) उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।